[भारत के राजपत्र (असाधारण) के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

((केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 21/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 22 मई, 2017

सा.का.नि.------(अ)- जबकि प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में प्राधिकृत कार्यालयों / एजेंसियों द्वारा, प्रमाणीकरण और ग्रेडिंग के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 09 /2012-सीशु दिनांक 09 मार्च, 2012 के अनुसार विदेश में निर्यात किए गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों की शुल्क मुक्त आयात के लाभ की अनुमति नहीं दी गई;

और जबकि, 09 मार्च, 2012 से 01 मार्च, 2017 की अवधि के लिए, यानी जिस दिनांक को अधिसूचना सं. 7/2017-सीशु दिनांक 01 मार्च, 2017 के अनुसार प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में ऐसे अधिकृत कार्यालयों / एजेंसियों को प्रमाणन और ग्रेडिंग के लिए विदेश में निर्यात किए गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों को पुन:-आयात शुल्क मुक्त के लिए अनुमति दी गई थी, विदेश व्यापार नीति में उल्लिखित इन प्रयोगशालाओं के भारत में अधिकृत कार्यालयों / एजेंसियों द्वारा प्रमाणीकरण और ग्रेडिंग के लिए विदेश में निर्यात किए गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों के पुन:-आयात पर लेवी शुल्क नहीं लगाने का प्रचलन इस क्षेत्र में आमतौर पर एक अभ्यास के रूप में था।

और जबकि, प्रमाणित और ग्रेडिंग के लिए 09 मार्च, 2012 से 01 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान निर्यात किये गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए यह एक सामान्य अभ्यास प्रचलित था, इसका तथ्यात्मक कारण है कि प्रमाणित और ग्रेडिंग के लिए निर्यात किए गए कटे और पॉलिश किए गए हीरों को ऐसे शुल्क मुक्त आयात, विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के तहत इन प्रयोगशालाओं के भारत में अधिकृत एजेंसियों / कार्यालयों में अधिसूचना सं. 55/2001-सीशु दिनांक 16 मई, 2001 द्वारा उपयुक्त रूप से सक्षम, अनुमति दी जानी थी।

और जबकि, 2007 के दौरान कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर से आयात शुल्क खत्म कर दिया गया था जिसे पुन: जनवरी, 2012 से लागू किया जाना था और, इसीलिए, विदेश से प्रमाणन के बाद निर्यातकों की एक श्रेणी को कटे और पॉलिश किए गए हीरों शुल्क मुक्त आयात के लाभ को बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार नीति 2009-2014 में संशोधन किया गया था। हालांकि, विदेश व्यापर नीति, प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में अधिकृत एजेंसियों / कार्यालयों को शुल्कमुक्त आयात के लाभ को प्रदान करने से चूक गए और तदनुसार, सक्षम अधिसूचना सं. 9/2012-सीशु दिनांक 09 मार्च, 2012 के अनुसार विदेश व्यापर नीति में उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में प्राधिकृत एजेंसियों / कार्यालयों को इस लाभ का विस्तार नहीं किया गया।

अब, इसीलिए, केन्द्र सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि प्रक्रिया की हस्तपुस्तिका के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में प्राधिकृत एजेंसियों / कार्यालयों द्वारा 09 मार्च, 2012 से 01 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान कटे और पॉलिश किए गए हीरों के आयात पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क और सीमा शुल्क की पूरी डयूटी, यदि कोई, देय है लेकिन उक्त अभ्यास के लिए, ऐसे कटे और पॉलिश किए गए हीरे के आयात के संबंध में भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी।

[फा.सं.डीजीईपी/जीएंडजे/04/2017]

(धर्मवीर शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार